



हरियाणा सरकार

# हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

लेकर आए हैं

स्पेशल प्रेफरेंशियल/ प्रेफरेंशियल आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों एवं पंचकूला व फरीदाबाद ज़ोन में आवासीय व व्यावसायिक सम्पत्तियों की ई-नीलामी

आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

दिनांक: 30 जनवरी, 2022

स्पेशल प्रेफरेंशियल/ प्रेफरेंशियल आवासीय सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	9-A, गुरुग्राम-I	6
2	10, गुरुग्राम-I	2
3	23-23A, गुरुग्राम-I	10
4	31-32A, गुरुग्राम-II	1
5	38, गुरुग्राम-II	4
6	39, गुरुग्राम-II	6
7	45, गुरुग्राम-II	1
8	46, गुरुग्राम-II	7
9	50, गुरुग्राम-II	2
10	51, गुरुग्राम-II	1
11	52, गुरुग्राम-II	5
12	57, गुरुग्राम-II	6
13	18-Def, रेवाड़ी	4
14	6, धारुहेड़ा	5
15	6 (पार्ट-II), धारुहेड़ा	4
16	9-A, महेन्द्रगढ़	6
17	21-B, फरीदाबाद	1
18	56-56A, फरीदाबाद	1
19	62, फरीदाबाद	20
20	12, पलवल	19
21	21, पंचकूला	3
22	27, पंचकूला	4
23	30, पिंजौर	9
24	8, अम्बाला	6
25	9, अम्बाला	2
26	10, अम्बाला	6
27	4, नारायणगढ़	1
28	18 (पार्ट-II), जगाधरी	5
29	18, कैथल	4
30	21, कैथल	3
31	5, करनाल	1
32	6, करनाल	2
33	32-P, करनाल	1
34	33-P, करनाल	2
35	25, रोहतक	13
36	27-28-26 (P-I), रोहतक	1
37	9, बहादुरगढ़	1
38	9-A, बहादुरगढ़	3
39	13, बहादुरगढ़	5
40	JH-6, झज्जर	1
41	9 (Part-A), झज्जर	9
42	9 (Part-B), झज्जर	1
43	13, पानीपत	3
44	15 (P-I), सोनीपत	1
45	23, सोनीपत	13
46	7, गोहाना	1

स्पेशल प्रेफरेंशियल/ प्रेफरेंशियल व्यावसायिक सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	9, गुरुग्राम-I	3
2	9-A, गुरुग्राम-I	3
3	10, गुरुग्राम-I	1
4	15-I, गुरुग्राम-I	2
5	22, गुरुग्राम-I	3
6	43, गुरुग्राम-II	4
7	45, गुरुग्राम-II	7
8	46, गुरुग्राम-II	2
9	47, गुरुग्राम-II	1
10	53, गुरुग्राम-II	4
11	एम टी एस कोसली	5
12	1 (पार्ट-1), नारनौल	7
13	3, फरीदाबाद	1
14	8, फरीदाबाद	2
15	14, फरीदाबाद	1
16	16-A (P-I & II), फरीदाबाद	9
17	17, फरीदाबाद	4
18	18 (P-I & II), फरीदाबाद	5
19	19 (फेज़-I), फरीदाबाद	9
20	28, फरीदाबाद	2
21	30, फरीदाबाद	3
22	46, फरीदाबाद	1
23	48, फरीदाबाद	3
24	58, ट्रांसपोर्ट नगर, फरीदाबाद	2
25	8, पंचकूला	1
26	9, पंचकूला	1
27	10, पंचकूला	2
28	21, पंचकूला	1
29	23, पंचकूला	3
30	26, पंचकूला	2
31	27, पंचकूला	1
32	28, पंचकूला	2
33	1, अम्बाला	1
34	8, अम्बाला	5
35	10, अम्बाला	1
36	3, नारायणगढ़	1
37	2, कुरुक्षेत्र	3
38	ओल्ड तहसील काम्प्लेक्स, करनाल	3
39	8, करनाल	1
40	12, करनाल	1
41	4-EXT, रोहतक	2
42	ओल्ड IAI, रोहतक	5
43	6, बहादुरगढ़	1
44	7, सोनीपत	5
45	23, सोनीपत	4
46	15 (P-I), सोनीपत	3

पंचकूला ज़ोन में आवासीय सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	21, पंचकूला	22
2	25, पंचकूला	1
3	26, पंचकूला	1
4	28, पंचकूला	10
5	31, पंचकूला	3
6	30, पिंजौर	15
7	15, जगाधरी	3
8	18, जगाधरी	1
9	18, कैथल	6
10	21, कैथल	6
11	8, अम्बाला	5
12	5, करनाल	2
13	6, करनाल	4
14	9, करनाल	8
15	14 (P-II), करनाल	3
16	16, करनाल	7
17	33-P, करनाल	19
18	तरावड़ी	5

पंचकूला ज़ोन में व्यावसायिक सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	2, पंचकूला	3
2	5, पंचकूला	3
3	6, पंचकूला	2
4	8, पंचकूला	3
5	9, पंचकूला	2
6	12-A, पंचकूला	2
7	15, पंचकूला	4
8	21, पंचकूला	4
9	23, पंचकूला	8
10	26, पंचकूला	11
11	27, पंचकूला	1
12	28, पंचकूला	4
13	4 एम डी सी, पंचकूला	4
14	5 एम डी सी (PKT-1), पंचकूला	3
15	6 एम डी सी, पंचकूला	3
16	9, अम्बाला	5
17	4, नारायणगढ़	2
18	17(M-II), जगाधरी	2
19	18 (M-II), जगाधरी	1
20	7, करनाल	3
21	8, करनाल	4
22	9, करनाल	4
23	ओल्ड तहसील काम्प्लेक्स, करनाल	4

फरीदाबाद ज़ोन में आवासीय सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	2, फरीदाबाद	3
2	8, फरीदाबाद	5
3	62, फरीदाबाद	36
4	64, फरीदाबाद	21
5	65, फरीदाबाद	18
6	76, फरीदाबाद	7
7	56-56A, फरीदाबाद	1
8	2, पलवल	4
9	12, पलवल	8

फरीदाबाद ज़ोन में व्यावसायिक सम्पत्तियां		
क्र. सं.	सेक्टर/ शहरी सम्पदा	भूखण्डों की संख्या
1	2, फरीदाबाद	2
2	3, फरीदाबाद	8
3	7, फरीदाबाद	15
4	8, फरीदाबाद	6
5	18 (P-I), फरीदाबाद	7
6	19 (फेज़-I), फरीदाबाद	6
7	30, फरीदाबाद	7
8	37, फरीदाबाद	4
9	2-P, पलवल	6

**पञ्जीकरण ई-नीलामी की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सायं 05:00 बजे बन्द हो जाएगा।**

ई-नीलामी पोर्टल <https://hsvphy.org.in>  
ई-नीलामी प्रारम्भ होने का समय प्रातः 10:00 बजे।

**मुख्य बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध।\***

ई-नीलामी में दर्शाई गई सम्पत्तियों को बिना नोटिस ई-नीलामी से हटाया जा सकता है।

किसी भी जानकारी के लिए [eauctionquery.hsvp@gmail.com](mailto:eauctionquery.hsvp@gmail.com) पर मेल करें।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:  
8360516607 (प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक)  
1800-180-3030 (प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक)



मुख्य प्रशासक  
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण  
सी-3, एनएसवीपी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-6, पंचकूला 134 109, हरियाणा।  
[hsvphy.org.in](http://hsvphy.org.in) 1800-180-3030 Hsvphy



स्थलों की पूरी जानकारी और ई-नीलामी के नियम और शर्तें एच एस वी पी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।  
आने वाली ई-नीलामी की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। <https://hsvphy.org.in>